



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9071

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट ए संख्या - 19670 सन् 2025**

प्रकाश सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अंबुज मौर्य, आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

---

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय गौतम, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री अंबुज मौर्य, द्वारा की गई, तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद की दलीलें सुनी गई।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद ने अदालत में कथन किया है कि उन्हें सभी निर्देश भलीभांति प्राप्त हैं और वे प्रकरण पर बहस करने की स्थिति में हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते। पक्षकारों की सहमति से, इस रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें 05.07.1995 को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, जब वे जिला पीलीभीत के थाना घुंछाई में प्रभारी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे, तब उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ अधिकारी (दंड और अपील) नियम, 1991 के नियम 17(1)(ए) के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर 20.11.2025 को निलंबित कर दिया गया था।

4. निलंबन आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि विवादित निलंबन आदेश कई कारणों से मान्य नहीं है। पहला कारण यह है कि निलंबन आदेश में जांच का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन पेपर बुक के पृष्ठ 27 पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा 22.11.2025 को याचिकाकर्ता को जारी किए गए पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, याचिकाकर्ता को तीन दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया गया है। दूसरा कारण यह है कि सभी आरोप गायों की हत्या और याचिकाकर्ता द्वारा उक्त घटना की संभावना को समाप्त करने के लिए कदम न उठाने की लापरवाही से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग पर आधारित हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **सच्चिदानंद त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य: रिट-ए संख्या 69308/2013** दिनांक 17.12.2023 के प्रकरण में दिए गए फैसले पर भरोसा जताया है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि आरोप गंभीर हैं, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि पहले प्रारंभिक जांच की गई है और इनपुट प्राप्त करने के बाद ही यह निर्णय लिया जाना है कि यह निलंबन का प्रकरण है या नहीं।

7. मैंने बार में दिए गए इस प्रकार के निवेदन को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

8. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता एक सब इंस्पेक्टर हैं और उनकी सेवाएं 1991 के नियमों के अंतर्गत आती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए और प्राप्त जानकारी के आधार पर यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि निलंबन का प्रकरण बनता है या नहीं। वर्तमान प्रकरण में, दिनांक 21.11.2025 के निलंबन आदेश से स्पष्ट है कि जांच विचाराधीन है, जबकि अगली तिथि यानी 22.11.2025 को पीलीभीत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रारंभिक जांच के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य की थी। न्यायालय की राय में, पहले प्रारंभिक जांच

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



की जानी चाहिए और प्राप्त जानकारी के आधार पर संतुष्ट होने पर कि निलंबन का प्रकरण बनता है, निलंबन आदेश पारित किया जाना चाहिए। यह मुद्दा अब नया नहीं है क्योंकि इस पर **सच्चिदानंद त्रिपाठी (उपरोक्त)** प्रकरण में निर्णय लिया जा चुका है।

9. तदनुसार, आक्षेपित आदेश को वैध नहीं ठहराया जा सकता। रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है। पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 21.11.2025 को पारित निलंबन आदेश रद्द किया जाता है। प्रत्यर्पण को दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

**14 जनवरी, 2026**

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)